न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.एम.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.–01/2018

उनवान

1. शोभा पिता औंकार रेगर, निवासी टोंकरवाड तहसील हुरडा

–वादी

बनाम

1. मै0 कृष्णा ऐग्रो इन्डस्ट्रीज , शीतला माता गली बिजयनगर जरिये पार्टनर संजयकुमार खाब्या पिता जयसिंह खाब्या महाजन निवासी बिजयनगर , तहसील बिजयनगर ।
2. मै0 कृष्णा ऐग्रो इन्डस्ट्रीज , शीतला माता गली बिजयनगर जरिये पार्टनर आदित्य बडौला पिता नरेन्द्र कुमार बडौला महाजन निवासी बिजयनगर , तहसील बिजयनगर ।
3. मै0 कृष्णा ऐग्रो इन्डस्ट्रीज , शीतला माता गली बिजयनगर जरिये पार्टनर श्रीमति निशा बडौला पत्नि प्रीतम बडौला महाजन निवासी बिजयनगर , तहसील बिजयनगर ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री गजेन्द्र सिंह वकील वादी ।
श्री मोहम्मद निशार वकील प्रतिवादीगण ।

<u>वादपत्र अर्न्तगत धारा–188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट</u>

–: निर्णय :–

दिनांक– 21.06.2018

1. वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि मौजा लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा तहसील हुरडा में वादी के खाता संख्या– 643 की आराजी नम्बर – 1071 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा नहरी तृतीय स्थित है जिसको विक्रय पत्र कृशि भूमि आराजी तादादी 2,00,000/– रुपये मात्र का स्टाप कीमती 10,000/– रुपया स्टाम्प नम्बर 5266 किता नंग 02 दिनांक 04.11.2015 विक्रयपत्र के खरीद किया गया है ।

2. वादी अपनी आराजी नम्बर– 1071 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा में आने जाने का रास्ता आराजी नम्बर – 1072 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा , 1073 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा में से हाकर आने जाने का रास्ता स्थित है जिसमें प्रतिवादीगण नाजायज तोर से हस्तक्षेप करते है और वादी के आने जाने के रास्ते में निवें खुदवा कर चार दिवारी

Scanned by CamScanner

करना चाहते है आरैर वादी की आराजी के उतरी पूर्वी सीमा में पक्का पुख्ता का निर्माण कर रास्ता में दिवार बनाने पर आमादा है जिसका उनको कानूनन कोई अधिकार नही है तथा मना करनें पर मरनें मारनें लडाई झगडा करनें पर उतारु होते है जौ कृत्य उनका अवैध व नाजायत होकर कानून की मंशा के विपरीत है ।

3. प्रतिवादीगण का उक्त कृत्य अवैध व नाजायत होने से इससे रुके रहने बाबत उनको बजरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक होकर न्यायहित में है वरना वादी को अपने हक उपभोग की आराजी से वंचित रहकर ऐसी असहनीय क्षति का सामना करना पडेगा , जिसकी क्षतिपूर्ति असम्भव है ।

4. अन्त में अंकित किया गया कि बहक वादी खिलाप प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की शादिर फरमायी जावें की वो स्वयं व अन्य द्वारा वादी की आराजी नम्बर– 1071 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा आराजी के उतरी पूर्वी सीमा में पक्का पुख्ता निर्माण नही करें , किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें एव ना ही वादी की आराजी में आने जाने के रास्ते में दिवार व पक्का पुख्ता निर्माण कार्य नही करें , करावें , व अपना अधिपत्य करनें , करानें से रुके रहे ।

5. प्रस्तुत वाद पत्र वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादीगण की और से उनके अधिवक्ता के द्वारा वकालतनामा फाइल किया गया ।

6. तत्पश्चात प्रकरण आज लोक अदालत केम्प कोर्ट लाम्बा पर पेश हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये । प्रतिवादीगण की और से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ । जो शामिल पत्रावली किया गया तथा नकल वकील वादी को दिलायी गयी ।

7. वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अन्तिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यवत करनें पर वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गयी । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि आराजी मुतदाविया वादी के द्वारा रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से खरीद की है । वादी की आराजी में आराजी नम्बर– 1072 , 1073, में से होकर आने जाने का रास्ता है जिसमें प्रतिवादीगण नाजायत तौर हस्तक्षेप करते है तथा वादी को आने जाने के रास्ते में नींव खुदवाकर चार दिवारी बनवाना चाहते है । जिसका की प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है । मना करनें पर ना मान लडाई झगडा करनें पर उतारु रहते है । अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार

Scanned by CamScanner

फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावें ।

8. वकील प्रतिवादी के द्वारा कथन किया गया कि आराजी नम्बर– 1071 वादी के खातेदारी की भूमि नही है । आराजी नम्बर– 1072 , 1073 कृषि भूमि ना होकर लघु उद्योग में रुपान्तरण हो चूकी है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा नगर पालिका गुलाबपुरा से पट्टा प्राप्त कर लिया है । ऐसे में वादी का वाद राजस्व न्यायालय में चलनें योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावें ।

9. मैंने वकील उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है ।

10. वादी के द्वारा प्रस्तुत राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 मौजा लाम्बां तहसील हुरडा के अनुसार विवादित आराजी नम्बर– 1071 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि तारा चन्द्र पिता गून्जाराम बलाई , निवासी गुलाबपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है ।

11. वादी के द्वारा यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है । इस अधिनियम की धारा 188 के तहत वही व्यक्ति दावा ला सकता है , जों भूमि का अभिधारी हो । यहॉ वादी विवादित आराजी नम्बर–1071 का अभिधारी (खातेदार) नही है , और न ही उनके द्वारा ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है जिससे वादी को आराजी मुतदाविया का खातेदार माना जा सके । अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मेन्टेबल नही होने से खारिज योग्य है।

–:निर्णयः–

दावा वादी खारिज किया जाता हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हों। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट लाम्बा पर सुनाया गया।

(नन्दकिशोर साजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner